२

22.04.2022::–आज यह पत्रावली पेशी मे आई उभयपक्ष उपस्थित। वादी अधिवक्ता श्री लालचन्द वर्मा द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत ओदश 23 नियम 01 सिविल प्रकिया संहिता पेश किया। प्रार्थना–पत्र शामिल पत्रावली किया गया। वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वादपत्र मे प्रतिवादिया सख्या 2 के नाम दर्जा 1/3 हिस्सा की भूमि के संबंधा मे प्रतिवादी सख्या 1 सावित्री देवी ने अपने पुत्र राय सिह व पौता मे वसीयत करना तय किया है इस प्रकार इस पारिवारिक विवाद का अंत हो गया है वादपत्र प्रत्याहत किये जाने की सूरत मे वाद खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अहकाम पर वादीया के हस्ताक्षर करवाये। व वादीया की पहचान अधिवक्ता श्री लालचन्द वर्मा द्वारा की गई। वादी अधिवक्ता का उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वादपत्र मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.11.02 13:02:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner